

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
संकल्प

विषय : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा अधिष्ठापित जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, रख-रखाव एवं अनुरक्षण हेतु अनुदेश की स्वीकृति।

विकसित बिहार के सात निश्चय अंतर्गत 'हर घर नल का जल' निश्चय (सुशासन के कार्यक्रम 2015-20) के तहत बिहार के सभी परिवारों को पाईपड जलापूर्ति योजना अधिष्ठापित करते हुए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया है। आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 (सुशासन के कार्यक्रम 2020-25) के अंतर्गत 'स्वच्छ गाँव-समृद्ध गाँव' निश्चय अंतर्गत अधिष्ठापित जलापूर्ति योजनाओं के दीर्घकालिक रख-रखाव एवं अनुरक्षण की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाना है। 'हर घर नल का जल' निश्चय की कार्यकारी व्यवस्था के तहत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा 'हर घर नल का जल' का कार्य राज्य के वैसे ग्राम पंचायत के वार्ड जहाँ भूजल में आर्सेनिक, फ्लोराईड एवं आयरन अधिक मात्रा है तथा वैसे ग्राम पंचायत जहाँ विभाग द्वारा पूर्व से जलापूर्ति योजनाएँ अधिष्ठापित की गई हैं, किया जा रहा है। साथ ही, पंचायती राज विभाग, बिहार हेतु निर्धारित वैसे ग्रामीण वार्ड, जहाँ भौगोलिक रूप से जलापूर्ति व्यवस्था का निर्माण चुनौतीपूर्ण था, में विशेष परिस्थितियों में जलापूर्ति योजनाएँ अधिष्ठापित की गई हैं।

विभाग द्वारा जलापूर्ति योजना निर्माण का कार्य लोक निर्माण संहिता में विहित प्रावधानों के अनुरूप चयनित संवेदक एजेंसी द्वारा कराया गया है। संवेदक एजेंसी के द्वारा जलापूर्ति योजना के निर्माण के उपरांत तीन/छः माह के ट्रायल रन के बाद योजना का आगामी पाँच वर्षों तक संचालन, रख-रखाव एवं अनुरक्षण का कार्य सुनिश्चित करना है। परन्तु जलापूर्ति योजनाओं की सेवा प्रदायता को दीर्घकालिक बनाये रखने के लिए वर्तमान में क्रियान्वित संचालन एवं रख-रखाव व्यवस्था को और सुदृढ़ किये जाने के उद्देश्य से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा अधिष्ठापित जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, रख-रखाव एवं अनुरक्षण हेतु अनुदेश तैयार किये गये हैं (परिशिष्ट-1)। इस अनुदेश के तहत निम्नवत् निदेश क्रियान्वित किये जायेंगे:-

- 2.1 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा निर्मित एवं अधिष्ठापित जलापूर्ति योजनाओं का संचालन, रख-रखाव एवं अनुरक्षण का कार्य विभाग द्वारा कराया जायेगा।
किसी ग्रामीण क्षेत्र की जलापूर्ति योजना में जल गुणवत्ता से संबंधित समस्या प्रतिवेदित होने और उस योजना में जलशोधन इकाई के अधिष्ठापन की आवश्यकता की स्थिति में संबंधित जलापूर्ति योजना को ग्राम-पंचायत/वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति लोक स्वास्थ्य प्रमंडल को हस्तांतरित करेंगे।
- 2.2 जलापूर्ति की अवधि माह अक्टूबर से मार्च तक प्रातः 6:00 से 9:00 बजे तक एवं अन्य माह में प्रातः 5:00 बजे से 8:00 बजे तक *द्वितीय पाली (दोपहर) अपराह्न 1:00 से 2:00 बजे तक तथा सायंकाल सभी माह में 4:00 बजे से 6:00 बजे तक होगी। संचालन के

(*आदेश संख्या : 6बी/वि.-1012/2021-296 दिनांक 15.11.22 से संशोधित)

लिए संवेदक/एजेंसी के द्वारा एक पम्प ऑपरेटर भी रखा जायेगा जिसका दायित्व होगा कि जलापूर्ति केवल निर्धारित अवधि में ही की जाय। जलापूर्ति की अवधि की सूचना सर्वसुलभ माध्यम से संचालक एजेंसी यथा: पम्प ऑपरेटर के माध्यम से उपभोक्ताओं तक ज्ञापित की जायगी और पम्प हाउस (बहुग्रामीय योजना के संबंध में जल मीनार स्थल पर) पर भी स्पष्ट अक्षरों में लिखा जायेगा।

पम्प ऑपरेटर द्वारा लॉग बुक में प्रतिदिन मोटर पम्प चालू/बंद करने के समय की प्रविष्टि की जायेगी और वार्ड के दो महिला लाभुकों का हस्ताक्षर एवं मोबाईल नं० (जहाँ तक संभव हो उनका घर अंतिम छोर पर अवस्थित हो) लिया जायेगा।

- 2.3 लघु मरम्मत हेतु संवेदक/एजेंसी द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर एक 'मरम्मत दल' का गठन किया जायेगा। इस मरम्मत दल में न्यूनतम एक प्लम्बर एवं दो हेल्पर होंगे और इलेक्ट्रीशियन, फिटर, आदि कर्मियों की ससमय उपलब्धता कार्य आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराई जायेगी। संवेदक/एजेंसी द्वारा मरम्मत एवं रख-रखाव से संबंधित उपस्कर, औजार, सामग्रियों (कार्यपालक अभियंता के निदेशानुसार) का संधारण ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक स्टोर बनाकर किया जायेगा। स्टोर सामान्यतः पंचायत सरकार भवन, पंचायत भवन या ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये स्थान में होगा और यह निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।
- 2.4 बड़ी खराबी (Major Breakdown) की सूचना प्राप्त होते ही संवेदक/एजेंसी वैकल्पिक जलापूर्ति की व्यवस्था बहाल करेंगे और मरम्मत निर्धारित अवधि में पूरा करेंगे।
- 2.5 लोक स्वास्थ्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता जलापूर्ति की सततता (continuity) बनाये रखने के लिए मरम्मत अनुश्रवण व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। मरम्मत अनुश्रवण की आवश्यकता को चिन्हित करते हुए सामान्यतः अवर प्रमंडल/प्रशाखा स्तर पर 'मरम्मत दल' का गठन आउससोर्सिंग के आधार पर कराया जायेगा। मरम्मत दल में मोटरसाईकिल के साथ एक प्लम्बर और दो हेल्पर होंगे। कार्य आवश्यकतानुसार इस दल में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मेशन आदि कुशल कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जायेगी। इसकी व्यवस्था गैर योजना मद में प्राप्ति निधि से की जायेगी। 'मरम्मत दल' द्वारा संपादित कार्य में आयी कुल लागत राशि और शत प्रतिशत (100%) जुर्माना राशि की वसूली संवेदक/एजेंसी से की जायेगी।
- 2.6 जलापूर्ति योजना से गृह जल संयोजन प्राप्त सभी परिवारों से प्रति गृह जल संयोजन से रू० 30 (तीस रूपया) मासिक उपभोक्ता प्रभार लिया जायेगा, जो सभी उपभोक्ताओं पर समरूप लागू होगा। इसमें आवश्यकतानुसार वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति/विभाग द्वारा संशोधन किया जा सकेगा।
- 2.7 उपभोक्ता प्रभार की वसूली अध्यक्ष, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के द्वारा मासिक रूप से की जायेगी। अध्यक्ष, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की अनिच्छा पर वार्ड सभा, वार्ड सचिव से यह कार्य करा सकेगी। अध्यक्ष, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा संग्रहित राशि में से अधिकतम 50% राशि प्रोत्साहन राशि के रूप में प्राप्त की जा सकेगी, जो चेक अथवा ई-ट्रांसफर के माध्यम से उसके खाते नियमानुसार अंतरित की जायेगी। अध्यक्ष, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के अनिच्छा की स्थिति में वार्ड सभा द्वारा नामित वार्ड सचिव को कार्य करने के उपरांत प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी।
- 2.8 लोक शिकायतों के निवारण के लिए केन्द्रीयकृत शिकायत निवारण प्रणाली

(Centralised Grievance Redressal System) को सशक्त किया जायेगा। कॉल एवं एस0एम0एस0 आधारित पद्धति द्वारा शिकायतों के निवारण एवं उपभोक्ता संतुष्टि आकलन भी कराया जायेगा। साथ ही, जलापूर्ति योजनाओं में IOT Device के माध्यम से क्रियाशीलता (Functionality) आकलन किया जायेगा

- 2.9 जलापूर्ति योजनाओं के रख रखाव एवं अनुरक्षण हेतु निधि की व्यवस्था (a) पन्द्रहवे वित्त आयोग एवं छठा राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाले निधि से या (b) राज्य सरकार के योजना मद से एवं गैर योजना मद से विभाग को प्राप्त होने वाली निधि से की जायेगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना सपोर्ट फण्ड से भी सहयोगी गतिविधियाँ (Support Activities) क्रियान्वित की जा सकेंगी।
- 2.10 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा अधिष्ठापित जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, रख-रखाव एवं अनुरक्षण हेतु अनुदेश में आवश्यकतानुसार संशोधन करने के लिए विभाग अधिकृत होगा।

3. भौतिक आकार :

योजना का भौतिक आकार सम्पूर्ण बिहार होगा।

4. निधि की उपलब्धता

जलापूर्ति योजनाओं के रख रखाव एवं अनुरक्षण हेतु निधि की व्यवस्था (a) पन्द्रहवे वित्त आयोग एवं छठा राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाले निधि से या (b) राज्य सरकार के योजना मद से एवं गैर योजना मद से विभाग को प्राप्त होने वाली निधि से की जायेगी।

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना सपोर्ट फण्ड से जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, रख-रखाव एवं अनुरक्षण की सहयोगी गतिविधियाँ (Support Activities) का कार्यान्वयन उपबंधित राशि से किया जा सकेगा।

राज्य योजना मद में ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्ल्स, कूप, नलकूप द्वारा) के विभिन्न सुसंगत शीर्षों में कुल ₹2450.00 लाख का बजटीय उपबन्ध है। इसी बजटीय उपबन्ध से राशि उपलब्ध कराई जायेगी। अतिरिक्त निधि का व्यवस्थापन पुनर्विनियोग/अनुपूरक आगणन के माध्यम से किया जायेगा।

5. बजट शीर्ष :

योजना पर होने वाला व्यय बजट शीर्ष मुख्य शीर्ष 4215 : जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय- उपमुख्य शीर्ष-01- जल पूर्ति- लघु शीर्ष-102 ग्रामीण जल पूर्ति - उपशीर्ष-0133- मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) विपत्र कोड-36-4215011020133,

मुख्य शीर्ष 4215 : जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय- उपमुख्य शीर्ष-01- जल पूर्ति- लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0115- मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) विपत्र कोड-36-4215017890115,

मुख्य शीर्ष 4215 : जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय- उपमुख्य शीर्ष-01- जल पूर्ति- लघु शीर्ष-796- जन जातिय क्षेत्र उप योजना-मांग संख्या - 36 - उपशीर्ष - 0120- मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)-विपत्र कोड-36-4215017960120,

बजट शीर्ष मुख्य शीर्ष 2215 : जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय- उपमुख्य शीर्ष-01- जल पूर्ति- लघु शीर्ष-102- ग्रामीण जल पूर्ति- उपशीर्ष-0106- मुख्य मंत्री

पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)–विपत्र कोड–36–4215011020132,

मुख्य शीर्ष 2215 : जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय– उपमुख्य शीर्ष–01– जल पूर्ति– लघु शीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–0104– मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) विपत्र कोड–36–4215017890104 एवं

मुख्य शीर्ष – 2215 – जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय– उपमुख्य शीर्ष–01– जल पूर्ति– लघु शीर्ष–796– जन जातिय क्षेत्र उप योजना – उपशीर्ष – 0105– मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)–विपत्र कोड–36–4215017960105,

बजट शीर्ष मुख्य शीर्ष – 2215 – जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय– उपमुख्य शीर्ष–01– जल पूर्ति– लघु शीर्ष–102– ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम– उपशीर्ष–0107– ग्रामीण जलापूर्ति योजना का परिचालन एवं रख रखाव सात निश्चय 2 विपत्र कोड–36–4215011020107, तथा

बजट शीर्ष मुख्य शीर्ष – 4215 – जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय– उपमुख्य शीर्ष–01– जल पूर्ति– लघु शीर्ष–102– ग्रामीण जल पूर्ति– उपशीर्ष–0132– मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)–विपत्र कोड–36–4215011020132,

मुख्य शीर्ष – 2215 –: जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय– उपमुख्य शीर्ष–01– जल पूर्ति– लघु शीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–0114– मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) विपत्र कोड–36–4215017890114, एवं

मुख्य शीर्ष – 2215 – जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय– उपमुख्य शीर्ष–01– जल पूर्ति– लघु शीर्ष–796– जन जातिय क्षेत्र उप योजना – मांग संख्या–36– उपशीर्ष – 0119– मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)–विपत्र कोड–36–4215017960119 में भारितव्य होगा।

6. अनुदेश दस्तावेज एवं उसमें निहित विभागीय प्रावधानों पर दिनांक–22.06.2021 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में स्वीकृति प्राप्त की गई है।

7. यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रक्षेत्र/सभी अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अंचल/सभी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल को सूचनार्थ भेजी जाय।

अनुलग्नक: यथोक्त।

ह0/-

(जितेन्द्र श्रीवास्तव)

सचिव,

लोक स्वास्थ्य

अभियंत्रण विभाग

ज्ञापांक : 6बी0 / वि0-1012 / 2021- 543

दिनांक: 28 / 6 / 2021

प्रतिलिपि : वित्त विभाग (ई-गजट शाखा), बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में अनुलग्नक सहित प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0 / -

(जितेन्द्र श्रीवास्तव)

सचिव,

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

ज्ञापांक: 6बी0 / वि0-1012 / 2021- 543

दिनांक: 28 / 6 / 2021

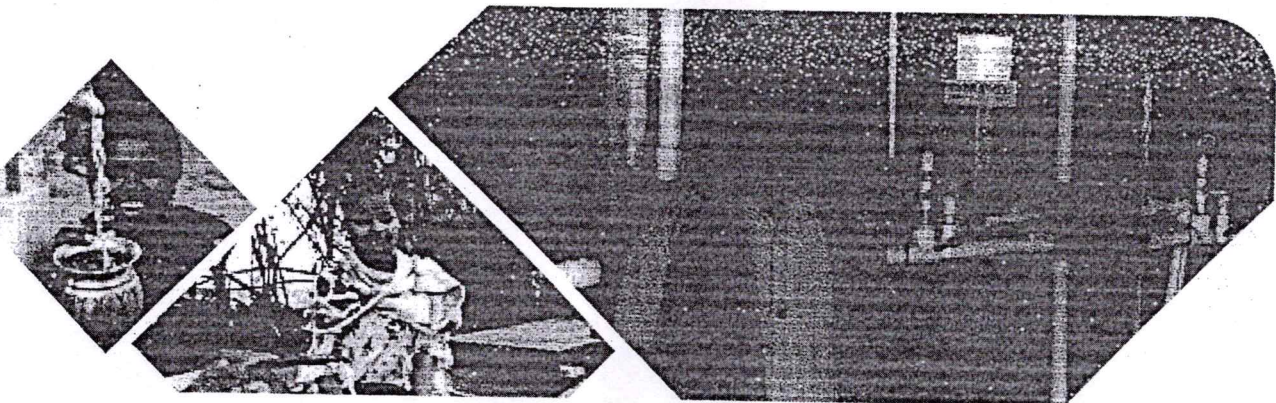
प्रतिलिपि: - मुख्य सचिव, बिहार / विकास आयुक्त, बिहार / सभी अपर मुख्य सचिव / सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / -

(जितेन्द्र श्रीवास्तव)

सचिव,

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग



बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा अधिष्ठापित जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, रख-रखाव एवं अनुरक्षण हेतु अनुदेश

1. प्रस्तावना

विकसित बिहार के सात निश्चय अंतर्गत 'हर घर नल का जल' निश्चय (सुशासन के कार्यक्रम 2015-20) के तहत बिहार के सभी परिवारों को पाईपड जलापूर्ति योजना अधिष्ठापित करते हुए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया है। आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 (सुशासन के कार्यक्रम 2020-25) के अंतर्गत 'स्वच्छ गाँव-समृद्ध गाँव' निश्चय अंतर्गत अधिष्ठापित जलापूर्ति योजनाओं के दीर्घकालिक रख-रखाव एवं अनुरक्षण की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाना है। 'हर घर नल का जल' निश्चय की कार्यकारी व्यवस्था के तहत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा 'हर घर नल का जल' का कार्य राज्य के वैसे ग्राम पंचायत के वार्ड जहाँ भूजल में आर्सेनिक, फ्लोराईड एवं आयरन अधिक मात्रा है तथा वैसे ग्राम पंचायत जहाँ विभाग द्वारा पूर्व से जलापूर्ति योजनाएँ अधिष्ठापित की गई हैं, किया जा रहा है। साथ ही, पंचायती राज विभाग, बिहार हेतु निर्धारित वैसे ग्रामीण वार्ड, जहाँ भौगोलिक रूप से जलापूर्ति व्यवस्था का निर्माण चुनौतीपूर्ण था, में विशेष परिस्थितियों में जलापूर्ति योजनाएँ अधिष्ठापित की गई हैं।

1.2 पाईपड जलापूर्ति के मार्गदर्शक सिद्धांत

- सभी तक पहुँच (Access to all)
- पूरे वर्ष पेयजल की आपूर्ति (Adequacy of drinking water throughout the year)
- पेयजल की गुणवत्ता (Quality of drinking water)
- पेयजल स्रोतों की सतता (निरन्तरता) (Sustainability of drinking water sources)
- जलापूर्ति योजनाओं के संचालन एवं रख-रखाव में जनभागीदारी (Community Participation in Operation and Maintenance of Water Supply Schemes)

1.3 सामाजिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की पाईपड जलापूर्ति योजनाएँ यथा: बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना, एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजना, पाईपड जलापूर्ति योजना, वार्ड स्तरीय शुद्धिकरण संयंत्र युक्त जलापूर्ति योजना, वार्ड स्तरीय जलापूर्ति योजना और मिनी पाईपड जलापूर्ति योजना तैयार की गई हैं।

2. जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, रख-रखाव एवं अनुरक्षण की वर्तमान व्यवस्था

विभाग द्वारा जलापूर्ति योजना निर्माण का कार्य लोक निर्माण संहिता में विहित प्रावधानों के अनुरूप चयनित संवेदक एजेंसी द्वारा कराया गया है। संवेदक एजेंसी के द्वारा जलापूर्ति योजना के निर्माण के उपरांत तीन/छः माह के ट्रायल रन के बाद योजना का आगामी पाँच वर्षों तक संचालन, रख-रखाव एवं अनुरक्षण का कार्य सुनिश्चित करना है।

तीन/छः माह के ट्रायल रन समाप्त होते ही योजना का 5 वर्षों के 'संचालन एवं रख-रखाव' का चरण प्रारंभ होता है। इस अवधि में संवेदक/एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि जलापूर्ति योजनाओं की अभियांत्रिकी संरचनाएँ एवं मशीन/उपकरण आदि निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप कार्य

करें और निर्धारित कार्यविधि के अनुरूप हो। योजना के संचालन हेतु आवश्यक कार्यबल एवं सामग्री (विभाग के निदेशानुसार) रखी जानी है।

3. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा अधिष्ठापित जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, रख-रखाव एवं अनुरक्षण हेतु अनुदेश

क. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रभावी तिथि** यह "लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा अधिष्ठापित जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, रख-रखाव एवं अनुरक्षण हेतु अनुदेश" कहा जायेगा। इसका विस्तार क्षेत्र सम्पूर्ण ग्रामीण बिहार में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा अधिष्ठापित जलापूर्ति योजनाएँ होंगी। इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जायेगा।

ख. **जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, रख-रखाव एवं अनुरक्षण में शामिल योजनाएँ:** लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा निर्मित एवं अधिष्ठापित जलापूर्ति योजनाओं का संचालन, रख-रखाव एवं अनुरक्षण कार्य विभाग द्वारा कराया जायेगा।

किसी ग्रामीण क्षेत्र की जलापूर्ति योजना में जल गुणवत्ता से संबंधित समस्या प्रतिवेदित होने और उस योजना में जलशोधन इकाई के अधिष्ठापन की आवश्यकता की स्थिति में संबंधित जलापूर्ति योजना को ग्राम पंचायत/वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति लोक स्वास्थ्य प्रमंडल को हस्तांतरित करेंगे।

ग. जलापूर्ति योजना का संचालन:

जलापूर्ति की अवधि माह अक्टूबर से मार्च तक प्रातः 6:00 से 9:00 बजे तक एवं अन्य माह में प्रातः 5:00 बजे से 8:00 बजे तक *द्वितीय पाली (दोपहर) अपराह्न 1:00 बजे से 2:00 बजे तक तथा तृतीय पाली (सायंकाल) सभी माह में 4:00 बजे से 6:00 बजे तक होगी। संचालन के लिए संवेदक/एजेंसी के द्वारा एक पम्प ऑपरेटर भी रखा जायेगा जिसका दायित्व होगा कि जलापूर्ति केवल निर्धारित अवधि में ही की जाय। जलापूर्ति की अवधि की सूचना सर्वसुलभ माध्यम से संचालक एजेंसी यथा: पम्प ऑपरेटर के माध्यम से उपभोक्ताओं तक ज्ञापित की जायगी और पम्प हाउस (बहुग्रामीय योजना के संबंध में जल मीनार स्थल पर) पर भी स्पष्ट अक्षरों में लिखा जायेगा।

पम्प ऑपरेटर द्वारा लॉग बुक में प्रतिदिन मोटर पम्प चालू/बंद करने के समय की प्रविष्टि की जायेगी और वार्ड के दो महिला लाभुकों का हस्ताक्षर एवं मोबाईल नंबर (जहाँ तक संभव हो, उनका घर अंतिम छोर पर अवस्थित हो) लिया जायेगा।

घ. जलापूर्ति योजना का निवारण अनुरक्षण (Preventive Maintenance)

जलापूर्ति योजना के निवारक अनुरक्षण से तात्पर्य जलापूर्ति योजनाओं का नियमित व निर्धारित अंतराल पर निरीक्षण और पूरी तरह से खराब होने के पूर्व स्पेयर पार्ट्स का बदला जाना है। संचालन एजेंसी प्राथमिक रूप से पम्प ऑपरेटर और/अथवा नामित कर्मियों को निवारक अनुरक्षण हेतु जवाबदेह बनायेगी।

विभाग द्वारा संवेदक एजेंसी को निवारक अनुरक्षण की गतिविधियों को चिन्हित करते हुए इसके अनुश्रवक निर्धारित किये जायेंगे।

ङ. जलापूर्ति योजना की लघु मरम्मत

जलापूर्ति योजना के लघु मरम्मत से तात्पर्य जलापूर्ति योजनाओं के विभिन्न अवयवों को कार्यरत बनाये रखने के लिए साधारण मरम्मत व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से मोटर-पम्प की मरम्मत कार्य, Starter की मरम्मत/नये Starter का अधिष्ठापन कार्य, Voltage Stabilizer की मरम्मत

(*आदेश संख्या : 6बी/वि.-1012/2021-296 दिनांक 15.11.22 से संशोधित)

कार्य, पम्प चैम्बर का मरम्मत कार्य, Rising Main/Delivery Main/Valve का Restoration कार्य, जल वितरण प्रणाली में बिछाए गए विभिन्न व्यास के HDPE पाईप में Leakage मरम्मत कार्य, पानी की टंकी का मरम्मत कार्य, Steel/RCC स्ट्रक्चर का मरम्मत कार्य, आदि शामिल होगा।

- (1) लघु मरम्मत हेतु संवेदक/एजेंसी द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर एक 'मरम्मत दल' का गठन किया जायेगा। इस मरम्मत दल में न्यूनतम एक प्लम्बर एवं दो हेल्पर होंगे और इलेक्ट्रीशियन, फिटर, आदि कर्मियों की ससमय उपलब्धता कार्य आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराई जायेगी।
- (2) ग्राम पंचायत में एक से ज्यादा संवेदक/एजेंसी होने की स्थिति में संबंधित लोक स्वास्थ्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता ग्राम पंचायत अंतर्गत सभी संवेदकों के साथ समन्वय कर एक साझा 'मरम्मत दल' का गठन करायेंगे। यह दल पंचायत अंतर्गत सभी योजनाओं के लघु मरम्मत हेतु जवाबदेह होगा।
- (3) संवेदक/एजेंसी द्वारा मरम्मत एवं रख-रखाव से संबंधित उपस्कर, औजार, सामग्रियों (कार्यपालक अभियंता के निदेशानुसार) का संधारण ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक स्टोर बनाकर किया जायेगा। स्टोर सामान्यतः पंचायत सरकार भवन, पंचायत भवन, या ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये स्थान होगा और यह निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। 'मरम्मत दल' भी इस स्थान पर दैनिक रूप से कार्य हेतु उपलब्ध होगा, जो मरम्मत संबंधी सूचना और/या शिकायत प्राप्त होते ही कार्य संपादित करेंगे।
- (4) लघु मरम्मत की सभी शिकायतें संबंधित जलापूर्ति योजना के पम्प हाउस पर संधारित शिकायत पुस्तिका में अंकित की जायेगी। 'मरम्मत दल' के द्वारा शिकायत निवारण के उपरांत पुस्तिका में विवरण अंकित किया जायेगा। पम्प ऑपरेटर का दायित्व होगा कि वह लघु मरम्मत के बाद स्थानीय उपभोक्ताओं से संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त करें जो उसी शिकायत पुस्तिका में अंकित किया जायेगा।
- (5) संवेदक/एजेंसी अपने स्तर पर भी शिकायत निवारण व्यवस्था तैयार करेंगे और शिकायतों का ससमय निष्पादन सुनिश्चित करायेंगे।

च. जलापूर्ति योजना की वृहत मरम्मत:

जलापूर्ति योजना के वृहत मरम्मत से तात्पर्य जलापूर्ति योजनाओं में बड़ी खराबी (Major Breakdown) आने पर संवेदक/एजेंसी को वृहत मरम्मत व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से Boring Failure की स्थिति में नये Boring का निर्माण कार्य एवं Rising Main का संयोजन, नये मोटर पम्प का अधिष्ठापन कार्य, टंकी का अधिष्ठापन हेतु नये Structure (RCC/Steel) का निर्माण कार्य, अतिरिक्त पानी की टंकी का अधिष्ठापन कार्य, नये गृह जल संयोजन की माँग आने पर अतिरिक्त पाईप लाईन एवं गृहजल संयोजन देने का कार्य, आपदा एवं Unforeseen की स्थिति में वृहद रूप से क्षतिग्रस्त जल वितरण प्रणाली का पुनःस्थापन कार्य, विद्युत ट्रांसफार्मर की बदली, आदि कार्य शामिल होंगे।

- (1) बड़ी खराबी (Major Breakdown) की सूचना प्राप्त होते संवेदक/एजेंसी वैकल्पिक जलापूर्ति की व्यवस्था बहाल करेंगे।
- (2) वृहत मरम्मत के कारण जलापूर्ति व्यवस्था में परिवर्तन की सूचना यथा सुलभ माध्यमों से सभी उपभोक्ताओं में पहुँचाई जायेगी।
- (3) वृहत मरम्मत की आवश्यकता को चिन्हित करते हुए अविलंब मरम्मत का कार्य प्रारंभ किया जायेगा और निर्धारित अवधि में कार्य पूरा करते हुए जलापूर्ति व्यवस्था को बहाल करेंगे।

- (4) वृहत मरम्मति से संबंधित शिकायत और सूचनाओं को पम्प हाउस में संधारित शिकायत पुस्तिका में अंकित किया जायेगा और इसके अंतर्गत किये गये कार्यों का विवरण भी मरम्मति दल के द्वारा लिखा जायेगा। मरम्मति पूर्ण होने तथा जलापूर्ति व्यवस्था बहाल होने के उपरांत उपभोक्ताओं से संतुष्टि प्राप्त करते हुए इसे शिकायत पुस्तिका में अंकित किया जायेगा।

छ. मरम्मति अनुश्रवण व्यवस्था :

संवेदक/एजेंसी का दायित्व होगा कि वह जलापूर्ति योजना को पूरे संचालन एवं रख-रखाव की अवधि में कार्यरत रखे और निर्धारित अवधि में जलापूर्ति सुनिश्चित करें।

- (1) संबंधित लोक स्वास्थ्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता जलापूर्ति की सतता (Continuty) बनाये रखने के लिए मरम्मति अनुश्रवण व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु प्रमंडल स्तर पर नियंत्रण कक्ष को सुदृढ़ किया जायेगा।
- (2) कार्यपाल अभियंता द्वारा मरम्मति अनुश्रवण की आवश्यकता को चिन्हित करते हुए सामान्यतः अवर प्रमंडल/प्रशाख स्तर पर 'मरम्मति दल' का गठन आउटसोर्सिंग के आधार पर कराया जायेगा।
- (3) 'मरम्मति दल' में मोटरसाईकिल के साथ एक प्लम्बर और दो हेल्पर होंगे। कार्य आवश्यकतानुसार इस दल में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मेशन आदि कुशल कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जायेगी।
- (4) 'मरम्मति दल' की व्यवस्था विभाग को गैर योजना मद से प्राप्त होने वाली निधि से की जायेगी।
- (5) संवेदक/एजेंसी के द्वारा लघु मरम्मति और/अथवा वृहत मरम्मति की शिकायत प्राप्त होने के निर्धारित अवधि के अन्दर कार्रवाई नहीं किये जाने की स्थिति में एतद संबंधी सूचना प्राप्त होते ही सहायक अभियंता/कनीय अभियंता के निदेश पर यह 'मरम्मति दल' संबंधित जलापूर्ति योजना में लघु मरम्मति या वृहत मरम्मति के कार्य को संपादित करेगा।
- (6) कार्य संपादन के उपरांत मरम्मति दल द्वारा पम्प ऑपरेटर के पास उपलब्ध शिकायत पुस्तिका में अंकित शिकायत का निवारण प्रविष्ट करते हुए किये गये कार्यों का विवरण दर्ज करेगा। कार्य समाप्ति और जलापूर्ति सामान्य होने के उपरांत उपभोक्ताओं से संतुष्टि प्रमाण प्राप्त कर शिकायत पुस्तिका में अंकित किया जायेगा।
- (7) 'मरम्मति दल' द्वारा संपादित कार्य में आयी कुल लागत राशि और शत प्रतिशत (100%) जुर्माना राशि की वसूली संवेदक/एजेंसी से की जायेगी।

ज. संचालन एवं रख-रखाव विपत्र का भुगतान:

संवेदक/एजेंसी को संचालन एवं रख-रखाव के दायित्व सफलतापूर्वक निर्वहन किये जाने के उपरांत विपत्र समर्पित किये जाने (जलापूर्ति योजना वार निर्धारित प्रपत्र एवं अनुलग्नकों के साथ विपत्र उपस्थापित करने) के बाद भुगतान होगा। प्रपत्र एवं अनुलग्नक का निर्धारण विभागीय अभियंता प्रमुख के द्वारा किया जायेगा।

झ. मासिक उपभोक्ता प्रभार:

जलापूर्ति योजना से गृह जल संयोजन प्राप्त सभी परिवारों से प्रति गृह जल संयोजन से रू0 30 (तीस रूपया) मासिक उपभोक्ता प्रभार लिया जायेगा, जो सभी उपभोक्ताओं पर समरूप लागू होगा। इसमें आवश्यकतानुसार वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति/विभाग द्वारा संशोधन किया जा सकेगा।

ञ. मासिक उपभोक्ता प्रभार संग्रहण व्यवस्था:

- (1) उपभोक्ता प्रभार की वसूली अध्यक्ष, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के द्वारा मासिक रूप से की जायेगी। अध्यक्ष, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की अनिच्छा पर वार्ड सभा, वार्ड

सचिव से यह कार्य करा सकेगी।

- (2) अध्यक्ष, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा संग्रहित राशि में से अधिकतम 50% राशि प्रोत्साहन राशि के रूप में प्राप्त की जा सकेगी, जो चेक अथवा ई-ट्रांसफर के माध्यम से उसके खाते नियमानुसार अंतरित की जायेगी। अध्यक्ष, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के अनिच्छा की स्थिति में वार्ड सभा द्वारा नामित वार्ड सचिव को कार्य करने के उपरांत प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी।
- (3) संग्रहित मासिक उपभोक्ता प्रभार का प्रबंधन वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के द्वारा पंचायती राज विभाग के निदेशानुसार किया जायेगा।
- (4) मासिक उपभोक्ता संग्रहण हेतु प्राप्ति रसीद जिला पंचायती राज पदाधिकारी/प्रखण्ड पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को उपलब्ध कराई जायेगी और समिति अपने स्तर पर रसीद को संधारित कर सचिव, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को भुगतान प्राप्ति हेतु उपलब्ध करायेगी।

ट. उपभोक्ता शुल्क प्रबंधन:

- (1) उपभोक्ता के द्वारा मासिक उपभोक्ता शुल्क नहीं दिया जाता है तो अध्यक्ष, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को सूचित करते हुए संबंधित उपभोक्ता को नोटिस तामिला कराया जायेगा।
- (2) यदि नोटिस तामिला होने के 30 दिन बाद भी उपभोक्ता द्वारा मासिक उपभोक्ता शुल्क नहीं दिया जाता है तो अध्यक्ष, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा गृह जल संयोजन विच्छेद के लिए 15 दिनों का नोटिस दिया जायेगा।
- (3) नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद उपभोक्ता के द्वारा शुल्क नहीं जमा कराये जाने पर उपभोक्ता का गृह जल संयोजन विच्छेद कर दिया जायेगा।
- (4) पुनः गृह जल संयोजन (Reconnection Charge) ₹0 300 (तीन सौ रुपये) होगा और यह वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की अनुशंसा पर ही हो सकेगा।
- (5) उपभोक्ता द्वारा जलापूर्ति का दुरुपयोग पाये जाने की स्थिति में अध्यक्ष, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा, जो वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति/विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकेगा।
- (6) एक बार गृह जल संयोजन विच्छेद होने के बाद उपभोक्ता द्वारा बकाया और जुर्माना प्राप्त किये जाने के बाद वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का आदेश पारित होने पर पुनः गृह जल संयोजन दिया जायेगा।
- (7) यदि उपभोक्ता के द्वारा विभाग के वितरण प्रणाली में मोटर पम्प का उपयोग किया जा रहा है तो कनीय अभियंता के द्वारा इसे तुरंत हटाने का नोटिस तामिला कराया जायेगा। इसके बाद भी उपभोक्ता द्वारा मोटर पम्प नहीं हटाया जाता है तो कनीय अभियंता स्थानीय प्रशासन के सहयोग से ₹0 5000/- का जुर्माना लगाते हुए सम्पत्ति को जब्त करेगी। इसके बाद भी यही कार्य करने पर कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा प्राथमिकी दर्ज करायेगे। यदि दोषी उपभोक्ता के द्वारा जुर्माना राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो सर्टिफिकेट वाद दायर करते हुए जुर्माना की राशि वसूली जायेगी।

ठ. जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी:

जलापूर्ति योजना से आपूर्ति किये जाने वाले पेयजल का गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी एक अनिवार्य गतिविधि होंगी। वैसी जलापूर्ति योजनाएँ जहाँ आर्सेनिक, फ्लोराईड और आयर्न

शुद्धिकरण संयंत्र लगाये गये हैं, वहाँ जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी की गतिविधियों में विशेष सतर्कता बरती जायेगी।

ड. जल मीनार/जल संग्रहण टंकी की सफाई:

जल मीनार/जल संग्रहण टंकी की सफाई के तात्पर्य जलापूर्ति योजना अंतर्गत जल संग्रह हेतु बनाये गये जल मीनारों/भूतल जल संग्रह कुण्डों/पी0वी0सी0 टंकियों की निर्धारित रसायनों का उपयोग करते हुए आधुनिक तकनीक से साफ किया जाना है। यह संचालन एवं रख-रखाव की अनिवार्य प्रक्रिया होगी और इसका अनुपालन सभी संवेदक/एजेंसी के द्वारा किया जायेगा।

ढ. शिकायत निवारण प्रणाली:

निर्धारित मानकों के अनुरूप जलापूर्ति सुनिश्चित करने विभाग द्वारा नागरिक अधिकार पत्र जारी किया जायेगा और सभी उपभोक्ताओं को जलापूर्ति की निर्बाध उपलब्धता के प्रति जागरूक व सक्षम बनाया जायेगा। लोक शिकायतों के निवारण के लिए केन्द्रीयकृत शिकायत निवारण प्रणाली (Centralized Grievance Redressal System) को सशक्त किया जायेगा। कॉल एवं एस0एम0एस0 आधारित पद्धति द्वारा शिकायतों के निवारण एवं उपभोक्ता संतुष्टि आकलन भी कराया जायेगा। साथ ही, जलापूर्ति योजनाओं में IoT Device के माध्यम से क्रियाशीलता (Functionality) आकलन किया जायेगा।

ण. शिकायत निवारण समय-सीमा:

विभाग द्वारा पेयजलापूर्ति व्यवस्था से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु नगरिक घोषणा पत्र (Citizen Charter) तैयार किया जायेगा। शिकायत निवारण की समय-सीमा मरम्मत में लगने वाले आदर्श अवधि और उपभोक्ताओं को त्वरित पेयजल की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित की जायेगी और यह सभी संबद्ध के लिए समरूप लागू होगी।

लोक शिकायत	शिकायत निवारण अवधि	निवारण पदाधिकारी	समीक्षा पदाधिकारी
जलापूर्ति योजना के लिकेज साधारण (Minor) असाधारण (Major)	12-24 घंटा 3-5 दिन	कनीय अभियंता / सहायक अभियंता	कार्यपालक अभियंता
मोटर पम्प में खराबी	24 घंटा योजना स्तर पर एक अतिरिक्त मोटर रखा जायेगा		
साधारण मरम्मत	24 घंटा		
स्टैंड पोस्ट की मरम्मत	24 घंटा		
जल मीनार की सफाई	15 दिन यदि विगत 6 माह में सफाई नहीं की गई हो		
नया गृह जल संयोजन / गृह जल संयोजन विच्छेदन	3 दिन यदि Pipeline आवेदक के समीप हो 30 दिन यदि नई Pipeline बिछाये जाने की आवश्यकता हो।		
जल गुणवत्ता की जाँच	03 दिन		

त. जलापूर्ति योजना का अनुश्रवण एवं शिकायतों का निस्तारण जलापूर्ति योजनाओं के रख रखाव एवं अनुरक्षण कार्य से संबंधित शिकायतों का निष्पादन लोक स्वास्थ्य प्रमंडल स्तर से किया जायेगा और इसका पर्यवेक्षण पाक्षिक रूप से अधीक्षण अभियंता करेंगे। क्षेत्रीय मुख्य अभियंता मासिक पर्यवेक्षण का कार्य संपादित करेंगे।

थ. प्रशिक्षण एवं कौशल विकास दीर्घकालिन कार्ययोजना के तहत रख-रखाव एवं अनुरक्षण कार्य में संलग्न कर्मियों, विभागीय पदाधिकारियों और ग्राम पंचायत एवं इसकी समितियों को संसाधन एवं कौशल युक्त बनाने के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के नियंत्रणाधीन गठित बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन नोडल संस्थान होगा। इस हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना सपोर्ट फण्ड से यथा अनुमोदित वित्तीय सहायता को जारी रखा जायेगा।

द. अध्यक्ष, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का दायित्व : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग आच्छादित वार्डों में अध्यक्ष, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के कार्य एवं दायित्व निम्नवत् होंगे। अध्यक्ष, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की अनिच्छा पर वार्ड सभा द्वारा चयनित वार्ड सचिव निम्नवत् दायित्वों का निर्वहन करेंगे:-

- वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की मासिक बैठक में जलापूर्ति योजना की पम्प ऑपरेटर के साथ समीक्षा करना
- उपभोक्ता, समिति के साथ और संवेदक के सहयोग से जल चौपाल का मासिक आयोजन
- गुणवत्ता जाँच हेतु जल नमूना तैयार करना
- वार्ड सभा/ग्राम सभा, विद्यालयों, आंगवाड़ी केन्द्रों एवं अन्य सामुदायिक गतिविधियों में पेयजल के सदुपयोग, जल संरक्षण पर चर्चा करना। जल बर्बादी करने वाले परिवारों/व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें पेयजल के महत्व के बारे में समझाना
- प्रत्येक महीने की पहली से दसवीं तारीख तक मासिक उपभोक्ता प्रभार की वसूली और वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में जमा कराना
- समय-समय पर पंचायती राज विभाग के परामर्श से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा प्रदत्त अन्य कार्य

अध्यक्ष, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति नियमित रूप से कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा बुलाई गई समीक्षा बैठकों, प्रशिक्षण/कार्यशाला, बैठक में शामिल होंगे और समय-समय पर दिये जाने वाले निदेशों-अनुदेशों का ससमय अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

घ. जन सहभागिता : जलापूर्ति योजनाओं के रख रखाव एवं अनुरक्षण में जन सहभागिता बढ़ाने के लिए आवश्यकतानुसार समुदाय के बीच जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। इसके अलावा पानी समिति का गठन, जल चौपाल का आयोजन एवं सामाजिक अंकेक्षण भी समय-समय पर कराया जायेगा। विशेषकर जल गुणवत्ता से प्रभावित इलाकों, AE/JES प्रभावित इलाकों में सुरक्षित जलापूर्ति योजनाओं के उपयोग के लिए लोगों को प्रेरित किया जायेगा। विभाग द्वारा विभिन्न जनसंचार माध्यमों से व्यापक सामाजिक जागरूकता और जनसंपर्क अभियान चलाये जायेंगे।

4. वित्त की व्यवस्था :

जलापूर्ति योजनाओं के रख रखाव एवं अनुरक्षण हेतु निधि की व्यवस्था (a) पन्द्रहवे वित्त आयोग एवं छठा वित्त आयोग की अनुशंसा से ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाले निधि से या (b) राज्य सरकार के योजना मद एवं (c) गैर योजना मद से विभाग को प्राप्त होने वाली निधि से की जायेगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना सपोर्ट फण्ड से भी सहयोगी गतिविधियाँ (Support Activities) क्रियान्वित की जा सकेंगी।

5. अनुदेश में संशोधन एवं विस्तार का प्राधिकार :

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा अधिष्ठित जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, रख-रखाव एवं अनुरक्षण हेतु अनुदेश में आवश्यकतानुसार संशोधन करने के लिए विभाग अधिकृत होगा।